



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:—पं.03(09)RSSB / स्टोर / IT_Equipments / 2024–25 / ४५९

जयपुर, दिनांक:— २७। १। २०२४

ई—निविदा सूचना (2024-25/२७)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा नवीन सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, सॉफ्टवेयर व तत्संबंधी उपकरण क्रय (अनुमानित लागत 33.85 लाख रुपये) की आपूर्ति किये जाने हेतु सीलबन्द निविदा इच्छुक/पात्र निविदादाताओं से आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाईट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

निविदा प्रपत्र नं. खुली निविदा सूचना (2024-25/27)

निविदा की अनुमानित राशि : 33.85 लाख

RISL प्रोसेसिंग शुल्क : 500/-

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 1000 /-

बोली प्रतिभूति राशि : 67,700/-

बिड़ प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : २७/११/२०२४

बिड़ जमा कराने की अंतिम तिथि : ०५/१२/२०२४

अपराह्न : 1.00 बजे तक

बिड़ खोलने की तिथि : ०६/१२/२०२४

अपराह्न : 03.00 बजे

तकनीकी निविदा

Supply of Server, Computer, Printer, Software and Misc. IT Equipments for Office use के लिये निविदा

- बिड़ प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : डाक का पता :
दूरभाष /मोबाइल नंबर : बैंक खाता संख्या : बैंक का नाम :
शाखा का नाम : IFSC Code :
- किसको संबोधित की गई : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- संदर्भ – निविदा सूचना संख्या : 2024-25/22 दिनांक :
- बिड़ शुल्क की राशि 1000/- (रु. एक हजार मात्र) दिनांक ई-ग्रास चालान संख्या एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) दिनांक ई-ग्रास चालान संख्या एवं के द्वारा सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम जमा करा दी गयी है/संलग्न है।
- हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2024-25/22 दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बायद होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाणमें हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
- फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (सरवर हेतु 60 दिवस व अन्य उपकरणों/सॉफ्टवेयर हेतु 30 दिवस) के भीतर माल की सुपुर्दी बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है।
- वित्तीय निविदा में उद्घृत की गयी दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि के पेटे रु. 67,700/- (रु. सड़सठ हजार सात सौ मात्र) का ई-ग्रास चालान संख्या दिनांक जो कि सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम बनवाया है, संलग्न है।

तकनीकी निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक शर्तें:-

- GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं. पेन नंबर की प्रति संलग्न।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उद्योग विभाग द्वारा जारी Enterpreneurial Memorandum Part II/Memorandum, Registration certificate/Udhyog aadhar की प्रमाणित प्रति।
- राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में Server, Computer, Printer, Software and Misc. IT Equipments संबंधी सामग्री आपूर्ति के अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)।
- Authorised Dealer प्रमाण पत्र (MAF) की वैध प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म के पास गत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्ष में प्रतिवर्ष 20.00 लाख रु. वार्षिक टर्नओवर की छायाप्रति (सी.ए. से प्रमाणित)।
- बिड़ शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का ई-ग्रास चालान संलग्न नहीं होने पर बिड़ पर विचार नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- सामग्री के नमूने अनिवार्य है। प्राप्त नमूनों की जांच समिति द्वारा की जावेगी तथा समिति द्वारा अनुपयुक्त नमूनों की दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूना बिड़ खोलने की अंतिम तिथि व समय तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाना है। Server, Computer, Printer, Software and Misc. IT Equipments का तकनीकी विवरण संलग्नक-1 पर है।
- बिड़दाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड़ को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।

तकनीकी द्रुष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



राजस्थानकर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

**टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ई-प्रोक पोर्टल पर निविदा अपलोड करनी होगी व वित्तीय निविदा BOQ में प्रस्तुत करनी होगी।
2. BOQ में अंकित सभी आईटमों की दरों का समग्र मूल्यांकन कर सर्वाधिक लाभदायी/न्यूनतम बोलीदाता से RTTP Rules 69 के अन्तर्गत नेगोसिएशन किया जा सकता है।
3. 'अधिकृत डीलरों (Authorised dealers) द्वारा निविदायें :- निविदायें Services (सेवाओं) के पंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा पत्र (Annexure - E) प्रस्तुत करेंगे।
4. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
 (ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृती के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
5. **GST** (माल एवं सेवा कर) पंजीयन :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।
6. निविदा प्रारूप स्थानीय से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्भूत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायाओं के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाड़ी भाड़े (कॉर्टज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।
9. विधि मान्यता :- निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

12. विनिर्देश :-

- i. (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- ii. निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. वारंटी/गारंटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायिक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाय, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुयें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- iv. मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाये, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।
- v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

13. निरीक्षण :-

- i. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकाशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
- ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यवित के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुये हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

संगत

14. रद्द करना :-

- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
 - तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
15. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।
16. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दग्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
18. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
19. (1) सुपुर्दग्गी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दग्गी अवधि
---------	----	--------	------------------

(2) परिमाण (Quantity) में परिवर्तन का अधिकार :-

- (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्टपरिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।
- (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :-
- संकर्म (Works) की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
 - मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services) के मूल्य का 50 प्रतिशत।
- (3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
20. बोली प्रतिभूति राशि :
- खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राकलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.50% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह

- बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, नियन्त्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और कन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
 3. बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूति करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।
 4. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में यदि हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेग। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
 5. बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकती। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
 6. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गमी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियागी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गमी द्वारा जारी की जायेगी।
 7. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गमी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
 8. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गमी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गमी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
 9. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के पश्चात् कर दिया जायेगा।
 10. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समर्पित (Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
 - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
 - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
 - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
 - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है:
 - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

सं८

11. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
 12. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:-

- a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,
 - b. सफल बोली लगाने वाले के हारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर ,
 - c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
 - d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दरतावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है ।

21. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभाति(Agreement and Performance Security) :-

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूप उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित हैं, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।

4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:

 - “ई-ग्रास (egras) के माध्यम से जमा”
 - किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
 - किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समर्पयूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के सम्पर्हण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को समिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

- a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

- b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- c. प्रतिभूति निक्षेप को समप्रहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
22. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।
- (2) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।
- (3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
- (4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

23. बीमा :-

1. सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर याहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

24. भुगतान :-

1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।
 2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
 3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
 4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- 25.
- (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
 - (2) परिसमाप्ति नुकसानी (Liquidated damages) :-परिसमाप्ति नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2½%
एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये	5%
आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये	7½%
विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%

1. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
2. परिसमाप्ति नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

संक्षेप

N Seem
S

3. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
4. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाप्ति नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
26. वसूलियाँ : परिसमाप्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमाप्ति क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
27. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।
28. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
29. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
30. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:-
 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
31. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
32. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
33. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
34. बिड़ प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
35. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
36. निविदा की शर्तों एवं RTPP Act 2012 & Rule 2013 में विरोधाभास होने की स्थिति में RTPP Act 2012 & Rule 2013 ही अंतिम होगा।
37. मैंने सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:



Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) Determination

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) pursue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



Three handwritten signatures are shown side-by-side. From left to right: 1) A signature that appears to be 'TSL'. 2) A signature that appears to be 'Anil'. 3) A signature that appears to be 'N. Seenu'.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant Proposes to be representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

1. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

2. Prayer:

.....
.....
.....

Place.....

Date.....

IPSU *D. Jain*

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the

Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Three handwritten signatures are present. From left to right: 1) A signature that appears to be "KPS". 2) A signature that appears to be "S". 3) A signature enclosed in an oval that appears to be "N. Srinivas".

Form B
Format of Affidavit
(See clause 11)

I S/o
Aged..... Yrs. Residing at
..... Proprietor/Partner/
Director of M/s do hereby
solemnly affirm and declare that:

(a) My/Our above noted enterprises M/s has
been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part – II by the District
Industries Center The acknowledgement No. is
Dated And has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	

(b) My/ Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part – II has
not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprises
is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprises is having all the requisite plant and machinery and is fully
equipped to manufacture the above items.

Place _____

Signature of
Proprietor/Director Authorized
Signatory with Rubber Stamp and
date

Note: If the cost of Items to be procured/hired exceeds Rs. 100000/- (Rupees One Lakh), the
Procuring Entity would be required to have the production unit inspected to satisfy itself of the
production capacity and that the quality control measures are installed.

ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित सुरक्षा सेवा के सामने दर्शायी गयी अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
 - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-[01] में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
 - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
 - Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
 - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
 - Department (Rajasthan Sub-ordinate & Ministerial Service Selector Board हेतु विभागीय कोड 223 एवं ऑफिस Rajasthan Staff Selection Board आई.डी.-32297) का चयन करें।
 - चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
 - Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाईट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/RISL प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में Hard Copy जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज ही मान्य होंगे। ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141-4022688, 0120-4711-508, 0120-4001-002 पर सम्पर्क करें।

निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. निविदा प्रपत्र शुल्क - 0075-00-800-(52)-[01] 2. अमानत राशि/प्रतिभूति जमा - 8443-00-103-00-00 3. प्रोसेसिंग शुल्क - 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग) विभागीय कोड - 223 ऑफिस आई.डी. - 32297 कार्यालय - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर लोकेशन - जयपुर
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सं३।

गु

N Seem

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समरप्त कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
सील

निविदादाता का नाम :-

पूर्ण पता :-

टेलिफोन नं:-

सचिव,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर।

विषय :— निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा Server, Computer, Printer, Software and Misc. IT Equipments क्रय हेतु जारी ई-निविदा सूचना (...../.....) के क्रम में मेरी/हमारी फर्म द्वारा उक्त निविदा में भाग लिया है, जिसमें निम्नलिखित राशि/दस्तावेज इत्यादि निविदा के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	विवरण	e-Challan No / UPI Payment	दिनांक	बैंक नाम
1.	निविदा शुल्क राशि रु. 1000/- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर			
2.	निविदा प्रसंस्करण शुल्क राशि 500/- प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 67,700/- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर			

- मैं/हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए बाध्य होगें।
- इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं/हम एतद्वारा (एनेक्वर-ए से डी तक) के साथ ही विधिवत मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं। मैं/हम मेरे/हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं।
- मेरे द्वारा संलग्न सभी दस्तावेज सही/सत्य हैं असत्य पाये जाने पर विभाग कानूनी कार्यवाही करनें के लिये स्वतंत्र है।
- हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

स्थान:-

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम मय सील)

फर्म/एजेंसी का नाम

पता:

.....
मोबाईल नं.

संगत

Schedule of Requirement

S. No.	Name of item	Qty.	MAF (Y/N)
1	Server PC	01	Y
2	High Speed Computer	01	Y
3	Computer	15	Y
4	3 in 1 Printer	15	Y
5	Heavy Duty Printer Machine	02	Y
6	Laptop	05	Y
7	UPS	03	Y

[Handwritten signatures]

TECHNICAL SPECIFICATIONS SERVER


Item No. 1: - Server PC (Including Rack with Accessories and Installation if Rack Server Provided)		
No.	Features	Specifications Required
1	Processor	2x Intel Xeon Silver 4314 Processor (16C, 2.4GHz) or higher
2	Memory	2x32 GB Memory scalable to at least up to 512 GB DDR4 memory Module
3	Hard disk drive with carrier	Minimum 4 * 960 GB hot plug SFF (SSD).
4	Storage Controller	Integrated PCIe 3.0 12Gb/s SAS Raid Controller with 2GB Cache supporting RAID 0,1,5,6,10
5	Network adapter	Dual Port 10 Gbps SFP Ethernet adapter with minimum two SFP modules of 10 Gbps
6	USB Drives	Minimum 1xUSB 3.0 Ports & 2xUSB 2.0
7	Extra Storage Connectivity	Dual port 16 Gbps Fiber Channel HBA (Optional)
8	Graphics / Video memory	Integrated Graphics controller with at least 8MB of video frame buffer/memory
9	Management Features	System remote management should support browser based graphical remote console along with Virtual Power button, remote boot using USB/CD/DVD Drive.
10	Security Features	<p>1. System should support Trusted Platform Module 2.0, UEFI Secure Boot, Cryptographic signed BIOS and BMC firmware, Intel Platform Firmware Resilience.</p> <p>2. System management should support Redfish v1.8, IPMI v2.0 Compliant.</p> <p>3. BIS and ROHS should be the only certification required as rest is not meant for India.</p> <p>4. The offered server should have certification with latest OS version of Microsoft, VMWare, RHEL and SUSE.</p>
11	Power	Minimum Dual Power Supplies with high availability and redundant hot pluggable fan, all power supplies should support Active/ Standby mode
12	Display	21.5" or Higher Display compatible with Server resolution
13	Keyboard & Mouse	USB Keyboard & Mouse
14	OS Support	Windows Server/Linux (With Installation and Commissioning)
15	Operating System	Windows Server 2022 (OEM)
16	SQL Server Software	Yes (With Installation and Commissioning)
17	Support	3 Years Comprehensive onsite support & warranty with 4 Hour On-site Response






TECHNICAL SPECIFICATIONS HIGH SPEED COMPUTER

Item No.2: - High Speed Computer		
No.	Features	Specifications Required
1	Processor	Intel i9, 13th generation 13900 (32 MB Cache 14 Core and 20 threads up to 5GHz turbo frequency)
2	Chipset	Compatible chipset
3	Memory (RAM)	32 GB (1x32GB) DDR5 4800 MHz upgradable up to 64 GB
4	Storage	1TB SATA HDD, 512 GB SSD
5	Display	23.8" IPS or higher
6	Graphics	Integrated HD Graphic Card or Higher
7	Ports	Minimum 2USB 3.0 Gen 1 Type A, 1HDMI, 1USB C port, Universal Audio Jack.
8	OS Certification	Windows certified
9	Network Card	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet, Bluetooth 5.0 or above & Integrated Wi-Fi 6 AX200 or higher
10	Power supply	250W Internal Power supply unit with 80% Efficiency or higher
11	OS	Windows 11Pro
12	Keyboard & Mouse	Same OEM USB Keyboard & USB two button optical Mouse with Mouse Pad. OEM logo should be embossed on the Keyboard and mouse (no stickers allowed)
13	Warranty	3 Years comprehensive on-site OEM Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS COMPUTER

Item No. 3: - Computer		
No.	Features	Specifications Required
1	Processor	Intel i5, 6 Core or higher, with minimum 2.5 GHZ or higher (Base Frequency), 18 MB Cache or higher with 13th or Higher Generation and to be certified by OEM
2	Chipset	Compatible Chipset
3	Operating System	Pre-installed Genuine Microsoft Windows 11 Professional (64 bit) or higher Recovery Partition (Applicable for windows)
4	Memory (RAM)	16 GB DDR5 4400 MHz or higher with 64 GB Expandability
5	Storage	1TB HDD, 512 GB NVMe SSD
6	Graphics	Integrated HD Graphic Card or Higher
7	Ports	Minimum 5 USB ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports, HDMI, VGA/Display Port, Audio jack for Headphone & microphone
8	Display	Minimum 19.5 inch or higher, Resolution 1600 x 900 or higher
9	Antivirus	Preloaded Antivirus & Internet Security with 3 years of subscription
10	Certificate	BIS, RoHS Compliance. OEM certification for preloaded operating system
11	Keyboard & Mouse	Same OEM USB Keyboard & USB two button optical Mouse with Mouse Pad. OEM logo should be embossed on the Keyboard and mouse (no stickers allowed)
12	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet, Integrated 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0 or higher
13	Form Factor	SFF
14	Accessories	All necessary cables
15	Security	Hardware 2.0 Trusted Platform Module (TPM)
16	Expansion Slots	Minimum two PCIe Slots
17	Warranty	3 Years comprehensive on-site OEM Warranty




TECHNICAL SPECIFICATIONS 3 IN 1 PRINTER

Item No.4: - 3 in 1 printer		
No.	Features	Specifications Required
1	Functions	Print, Scan, Copy
2	Print technology	Laser
3	Print Speed	25 PPM (Mono) or Higher
4	Paper Size	A4 or above
5	Print Resolution	600 x 600 dpi or higher
6	Duplex	Auto
7	Memory	128 MB or Higher
8	Display	Yes
9	Connectivity	USB, Ethernet, Wi-Fi
10	Duty Cycle (Monthly)	10000 pages or higher
11	Copy Speed	10 PPM or Higher
12	Toner	Black Ink pre-installed
13	Scan & Copy Resolution	600 x 600 dpi or higher
14	Scan File Format	PDF, JPEG, PNG etc.
15	Scan Resolution	600 x 600 dpi or higher
16	Scan Type/ Technology	Flatbed with ADF
17	Input Paper Tray Capacity	150 Pages or Higher
18	Compatible OS	Windows and Linux
19	Cables / Accessories	All the required cables, accessories
20	Software Media	Driver & Utility software
21	Certifications	BIS, RoHS
22	Warranty	3 Years comprehensive onsite OEM warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS HEAVY DUTY PRINTER MACHINE

Item No.5- Heavy Duty Printer Machine		
No.	Features	Specifications required
1	Print technology	Laser
2	Type of machine	Multifunction machine
3	Type of printing	Mono
4	Cartridge technology	Separate drum and toner (mono-component)
5	Platen / flatbed size	A3
6	Paper size (original / image)	A4 / a3
7	Ram size (mb)	1 024 MB
8	Minimum speed per minute as per ISO / IEC 24734 in a4 size-mono	24 PPM
9	Minimum speed per minute as per ISO / IEC 24734 in a3 size-mono	12 PPM
10	Scanning feature availability	Yes
11	Duplexing feature availability	Yes
12	Networking feature availability	Yes
13	If yes, type of network interface	Ethernet 10/100
14	Wi-fi	Yes
15	Original document feeder type	DADF / RADF
16	Feeder capacity (number)	50
17	Number of paper tray	1
18	Paper tray capacity (number)	250 or Higher
19	Bypass facility	Yes, 100 sheets
20	Yield of cartridge/ink tank (number of prints)	10200
21	Life of drum in terms of number of prints	66000 or Higher
22	Duty cycle	60000 or Higher
23	Bis registration under CRS of MEITY	Yes
24	Other certification	Bis, RoHS
25	On-site OEM warranty (year)	01 or Higher





TECHNICAL SPECIFICATIONS LAPTOP

Item No.6- Laptop		
No.	Features	Specifications Required
1	Processor	Intel i7, Minimum 8 Core or Higher, 18 MB Cache or Higher 13th or Higher Generation and to be Certified by OEM
2	Operating System	Pre-Installed Genuine Microsoft Windows 11 Professional (64 bit) or Higher Recovery Partition (applicable for windows)
3	Display	14" or higher diagonal Full HD Display
4	Memory (RAM)	16 GB (1x16GB) DDR4 3200 MHz upgradable up to 32 GB
5	Storage	1TB NVMe SSD
6	Speaker & Microphone	Inbuilt speakers and integrated digital microphone
7	Connection Type	Minimum 2 USB 3.0 or higher, HDMI 2.0, Head Phone/Microphone combo/separate, 1- USB type C
8	Network Card	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet
9	Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0 or above & Integrated Wi-Fi 802.11b/g/n or Wi-Fi 6 AX200 or higher
10	Web Cam	Integrated HD Web Camera (Front Facing)
11	Battery	Minimum 40 Whr
12	Power Adapter	Standard Power Adapter
13	Antivirus	Latest Antivirus & Internet Security with minimum 3 Years
14	Certification	BIS
15	Compliance	RoHS
16	Acessories	Carry Bag
17	Warranty	3 Years comprehensive on-site OEM Warranty


TECHNICAL SPECIFICATIONS HIGH SPEED COMPUTER

Item No. -7 UPS		
No.	Parameter	Minimum Technical Specifications
1	UPS Capacity	1 KVA
2	Mode	Line Interactive
3	Protection	Full Protection
4	Voltage	230 +-10%
5	Range	160V-280V
6	Power Factor	0.6 or Higher
7	Back up time	168 VAH for 30 Minutes backup on 1 PC (Inbuilt Batteries)
8	Indicator	Mains On/ On Battery/ Low Battery/ Fault/ Overload
9	Plug and Cable	Input cable of 3 pin Indian plug and output have minimum 3 or more Nos. of 5 pin Indian Socket
10	Battery Type	Sealed Lead Acid Valve Regulated
11	Alarm	On Battery/ Fault Over Load, Low Battery
12	Certifications	BIS
13	Compliance	ROHS (Only UPS)
14	Test Report	OEM should submit test report for the quoted model issued by State/ Central laboratory/ NABL accredited labs (not old from last 5 Years)
15	Warranty	3 Years comprehensive on-site OEM warranty



The image shows three handwritten signatures and initials. One signature is on the left, another is on the right, and a third set of initials is below them. The signatures appear to be in black ink on a white background.

फर्म का नाम :
 (कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,
 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

वित्तीय निविदा प्रपत्र

Rate Contract of Computer for Office use के लिये निविदा

निविदा सूचना संख्या के क्रम में अनुमानित राशि 33.85 लाख तक के लिए हमारी दरें
 निम्नानुसार हैं:-

Sr. No.	Item Description	No. of Items	Make	Rate Per Pcs. (Inclusive of All taxes) (In Rs.)	Total Cost in Rs. (Including Freight Charges)
1	<u>Server Computer (2x Intel Xeon Silver 4314 Processor (16C, 2.4 GHz) or Higher):</u> 2x Intel Xeon Silver 4314 Processor (16C, 2.4 GHz) or Higher, 2X32 GB RAM scalable to at least up to 512 GB DDR4 memory Module, 4X960GB Hot plug SFF (SSD), Preloaded Latest Windows Server and SQL Server with Installation and Commissioning, Monitor 21.5" or Higher, OEM Warranty 3 Years with 4 Hour on-site response <u>Full Specification Annexure-F</u>	01			
2	<u>High Speed Computer (i9, 13th Gen, 32GB RAM, 1 TB HDD, 512 GB SSD Storage):</u> Intel® Core i9 13th Generation, 32GB RAM expandable to 128GB, 1TB HDD, 512 GB SSD, DVD Writer, Genuine Microsoft Windows 11 Professional, Moniter 23.8" or higher, on-site OEM Warranty 3 Years. <u>Full Specification Annexure-G</u>	01			
3	<u>Computer (i5, 12th Gen, 16GB RAM, 1 TB HDD, 512GB SSD Storage):</u> Intel® Core i5 12th Generation, 16 GB RAM expandable to 64GB, 1 TB HDD, 512 GB SSD, DVD Writer, Genuine Microsoft Windows 11 Professional, Moniter 19.5" or higher, on-site OEM Warranty 3 Years. <u>Full Specification Annexure-H</u>	15			
4	<u>Printer (3 in 1 Print, Scan & Copy, 25 PPM):</u> 3 in 1 Printer, Print, Scan & Copy, 25 PPM, Laserjet, Wi-Fi, Ethernet, RAM 128 MB or Higher, 3 Years on-site OEM Warranty <u>Full Specification Annexure-I</u>	15			
5	<u>Heavy Duty Printer/Photocopy Machine (A3, 3 in 1 Print, Scan & Copy, 24 PPM or Higher):</u> 3 in 1 Printer, Print, Scan & Copy, 24 PPM, A3 Printer Machine, Laserjet, Duplex Auto Scan, Wi-Fi, Ethernet, RAM 1024 MB or Higher, Tray 250 or Higher, Duty Cycle 60000 or Higher, 1 Years on-site OEM Warranty <u>Full Specification Annexure-J</u>	02			
6	<u>Laptop (i7, 13th Gen, 16GB RAM, 1 TB SSD Storage, Display 14" or Higher):</u> Intel® Core i7 13th Generation, 16GB RAM expandable to 32GB, 1TB SSD, DVD Writer, Genuine Microsoft Windows 11 Professional, Display 14" or higher, on-site OEM Warranty 3 Years. <u>Full Specification Annexure-K</u>	05			
7	Windows Server 2022 Server OS (OEM Pack) for Server	01			
8	SQL Server Software Latest Version for Server	01			
9	<u>UPS (1KVA):</u> Capacity 1KVA, Line Interactive, back-up 30 Minutes or Higher, 3 Years on-site Warranty. <u>Full Specification Annexure-L</u>	03			

नोट :-

दर ऑनलाइन दिये गये टेन्डर के BOQ में प्रस्तुत करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील